कार्यकारी सारांश

(पर्यावरणीय प्रभाव आकलन)

मैसनरी स्टोन एवं ग्रेनाईट (अप्रधान खनिज) खनिज की खनन परियोजना

एम.एल. नं. 172/89 एवं क्षेत्रफल – 42.3317 हैक्टेयर

ग्राम – काना पहाड़, तहसील – झुंझुंनू, जिला – झुंझुंनू (राजस्थान)

उत्पादन क्षमता 6386640 टन प्रतिवर्ष (रोम)

(ग्रेनाईट खनिज 1820192.4 टन प्रतिवर्ष, मैसनरी स्टोन 4247115.6 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 319332 टन प्रतिवर्ष)

कुल क्षेत्रफल – 42.3317 हैक्टेयर

परियोजना लागत – 2500 लाख

पर्यावरण अध्ययन की अवधि – दिसम्बर 2023 से फरवरी 2024

(ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 व संशोधन के अन्तर्गत यह परियोजना बी–1 श्रेणी में आती है)

|| आवेदक ||

मैसर्स जवान रॉक मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड

पता – फलैट नं. जी–1, गाउण्ड फलौर, अजीत अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 1, श्री राम नगर ए, खिरणी फाटक रोड, जयपुर।

|| पर्यावरण सलाहकार ||

वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड

पता – एस.सी. 40, एस ब्लॉक, तृतीय तल, नारायण विहार, मानसरोवर, जयपुर – 302001

ई–मेल : vibranttechnolab@gmail.com

परियोजना का परिचय

- परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जवान रॉक मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड ने निकट ग्राम – काना पहाड़, तहसील – झुंझुंनू, जिला – झुंझुंनू (राजस्थान) में अप्रधान खनिज मैसनरी स्टोन एवं ग्रेनाईट खनिज के खनन् का प्रस्ताव रखा है।, एम.एल. नं. 172/89, खनन् क्षेत्र 42.3317 हैक्टेयर, खनन क्षमता – 6386640 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव रखा है। खनिज का खनन ओपनकास्ट अर्द्धयंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

- परियोजना राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग पंजीयन की तिथी से 5 वर्ष हेतु श्री सादिक के पक्ष में खनन पट्टा क्षेत्रफल 92.903 हैक्टेयर, खनिज मैसनरी स्टोन के लिए स्वीकृत की गई थी। खनन पट्टे का पंजीयन दिनांक 27.12.1969 को किया गया। इस प्रकार खनन पट्टा 27.12.1969 से 26.12.74 तक वैधता में आया।

- इसके पश्चात राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आदेश कमांक D/W/ML/95/68/346-351 दिनांक 04.02.1972 के द्वारा खनन पट्टे का हस्तानान्तरण श्री जगदीश प्रसाद महाजन के पक्ष में किया गया।

- खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आदेश कमाक 1.11.1975 को किया गया जिससे खनन पट्टे की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढाया गया तथा इस प्रकार खनन पट्टे अवधि 27.12.1974 से 26.12.79 तक बढा दी गई।

- खनन पट्टे का द्वितीय नवीनीकरण राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आदेश कमाक 17.12.1981 को किया गया जिससे खनन पट्टे की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढाया गया तथा इस प्रकार खनन पट्टे अवधि 27.12.1979 से 26.12.89 तक बढा दी गई।

परियोजना का परिचय

- खनन पट्टे का तृतीय नवीनीकरण राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आदेश क्रमाक 13.06. 1990 को किया गया जिससे खनन पट्टे की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढाया गया तथा इस प्रकार खनन पट्टे अवधि 27.12.1989 से 26.12.99 तक बढा दी गई।

- खनन पट्टे का तृतीय नवीनीकरण कि अवधि को 20 वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आदेश क्रमाक 11.06.1997 द्वारा बढाया गया तथा इस प्रकार खनन पट्टे अवधि 27.12.1989 से 26. 12.2009 तक बढा दी गई।

- श्री जगदीश प्रसाद महाजन का स्वर्गवास हो जाने के कारण खनन पट्टे का नामांतरण उनके पुत्र श्री रामप्रकाश महाजन के पक्ष में अधिकक्षण खनि अभिंयता, जयपुर के ओदश क्रमांक SME/JAI/NEEM/P.16/89/111 दिनांक 19.03.1998 को किया गया।

- राजस्थान सरकार के खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अतिरक्ति निर्देशक खान के आदेश क्रमांक SME/JAI/SIKAR/MM/Trans./06-07/109 दिनांक 15.02.2007 के द्वारा खनन पट्टे का हस्तानान्तरण मैसर्स जवान रॉक मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया। हस्तांतरण सविंदा का पंजीयन दिनांक 17.02. 2007 को किया गया।

- मैसर्स जवान रॉक मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा खनन पट्टे के चतुर्थ नवीनीकरण हेतु आवेदन खनन क्षेत्र के अध्यपर्ण के साथ किया गया। तथा खनन विभाग के पक्ष में खनन पट्टा क्षेत्रफल 50.6189 हैक्टेयर क्षेत्र का अध्यपर्ण किया जाकर 42.3317 हैक्टेयर को खनन कार्य हेतु रखा गया।

परियोजना का परिचय

- आर.एम.एम.सी.आर., 2017, नियम 9(3) के द्वारा खनन प्टटे की अवधि को 31.03.2025 तक बढाया दिया गया। जिसके लिए राईडर एग्रीमेंट का निष्पादन 29.08.2019 को किया जाकर पंजीयन 02.09.2019 को किया गया।
- खनिज ग्रेनाईट के समावेश हेतु मंशा पत्र दिनांक 30.09.2021 को पत्र क्रमाक DMG/P-2(H-1) Jhunjhunu/17/1043 द्वारा जारी किया गया।
- प्रस्तावित परियोजना हेतु खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अतिरिक्त निर्देशक, खान, जयपुर द्वारा खनन परियोजना की खनन योजना एवं उत्रोत्तर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन पत्र क्रमांक ADM/JAI/M.Plan/P-77/2021/383 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा किया गया।
- यह खनन परियोजना अरावली क्षंख्ला श्रेणी में आती है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुसार प्रतिबधित खनन परियोजनाओ में नही आती है। इस परियोजना का क्षेत्रफल 42.3317 हैक्टेयर है जो कि 5.0 हैक्टेयर से ज्यादा होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कि अधिसूचना 14.09.2006 एवं उसकी संशोधित अधिसूचनाओ के तहत यह परियोजना बी–1 श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
- SEIAA राजस्थान के पत्र क्रंमाक F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.B1(20732) /2023-24, दिनांक 26.03. 2024 के द्वारा टी. ओ. आर. प्राप्त किया गया।
- परियोजना कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आधारभूत डेटा दिसम्बर 2023 से फरवरी 2024 में एकत्र किया गया था।

परियोजना का विवरण

1	परियोजना का विवरण	➢परियोजना प्रस्तावक मैसर्स जवान रॉक मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड ने निकट ग्राम – काना पहाड़, तहसील – झुंझुंनू, जिला – झुंझुंनू (राजस्थान) में अप्रधान खनिज मैसनरी स्टोन एवं ग्रेनाईट खनिज के खनन् का प्रस्ताव रखा है।, एम.एल. नं. 172/89, खनन् क्षेत्र 42.3317 हैक्टेयर, खनन क्षमता – 6386640 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव रखा है। खनिज का खनन ओपनकास्ट अर्द्धयंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
2	क्षेत्रफल	एम.एल. नं. 172/89 का कुल क्षेत्रफल – 42.3317 हैक्टेयर
3	टोपोशीट संख्या	44P/8
4	भूमि के प्रकार	सरकारी भूमि
5	परियोजना की लागत	परियोजना लागत – 2500 लाख
6	निकटतम राष्ट्रीय/ राज्य मार्ग	➢ मुख्य जिला सडक 82 उत्तर पूर्व दिशा में 0.18 कि.मी. खनन क्षेत्र से। ➢ राज्य राज्यमार्ग 41 0.12 कि.मी. उत्तर दिशा में खनन क्षेत्र से। ➢ राज्य राज्यमार्ग 37 0.7 कि.मी. उत्तर पश्चिम दिशा में खनन क्षेत्र से। ➢ राज्य राज्यमार्ग 8 1.80 कि.मी. दक्षिण दिशा में खनन क्षेत्र से। ➢ राष्ट्रीय राज्यमार्ग–11 दक्षिण पश्चिम दिशा में 1.0 कि.मी. खनन क्षेत्र से।
7	निकटतम रेलवे स्टेशन	झुंझुनू रेलवे स्टेशन 1.85 कि.मी. दक्षिण दिशा मे।
8	निकटतम हवाई अड्डा	जयपुर एयरपोर्ट 142.0 कि.मी. दक्षिण पूर्व दिशा में।
9	नदी/नाला	➢ कांतली नदी 14.6 कि.मी. पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र सें। ➢ तालाब खनन क्षेत्र से गुजरता है। ➢ तलाब 1.15 कि.मी. दक्षिण पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र से।

परियोजना का विवरण

11	निकटतम आरक्षित एवं संरक्षित वन, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण	अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण मौजूद नहीं है। ➢ झुंझुनू बीड संरक्षित वन 2.70 कि.मी. उत्तर पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र से।
12	भू–जल तालिका	सामान्य भू–स्तर – 330 mRL मानसून पूर्व –320 mRL (110 मीटर सामान्य भू–स्तर से) मानसून पश्चात – 330 mRL (100 मीटर सामान्य भू–स्तर से)
13	खनन की अंतिम सीमा	22 मीटर सामान्य भू–स्तर से (308 एम.आर.एल.)
14	जल की आवश्यकता (लगभग)	30.0 किलो लीटर प्रतिदिन (जल की आपूर्ति निकटवर्ती गॉवों से टेकरों द्वारा की जायेगी)
15	श्रमिको की आवश्यकता	250 लोगो को प्रत्यक्ष एवं 1700 लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
16	निकटतम आबादी	झुंझुंनू 0.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है परन्तु खनन कार्य निकटतम आबादी से उचित दूरी छोड कर नियमानुसार ही की जाएगी। तथा इस खनन कार्य द्वारा निकटतम आबादी को कोई नुकसान नही पहुचाया जाएगा।

परियोजना की आवश्यकता

खनिज की भूमिका एवं आवश्यकताः–

उक्त परियोजना की घरेलू एवं ढांचागत बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के आस–पास स्थित विभिन्न लधु उघोगो को ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज की आपूर्ति की जाती हैं।

खनिज का उपयोग ईमारतो, पुलो, फर्श, स्मारकों आदि में किया जाता है। घरो में फर्श, सीढीयो एवं कई अन्य डिजाइन तत्वो में खनिज का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रतिष्ठा रूपी सामग्री हैं, जिसका उपयोग परियोजना गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। खनिज का उपयोग निर्माण सामग्री, आयाम पत्थर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादो के निर्माण में भी किया जाता है।

भारत के आर्थिक क्षेत्र में खनन् महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान खनिज संपदा में समृद्ध है। राज्य प्रमुख व गौण खनिज संसाधनों से भरपूर है। क्षेत्र में खनन् के विकास के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। परियोजना से एक महत्वपूर्ण लाभ स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के साथ सरकारी खजाने को सीधा योगदान है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना क्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से अच्छा बनाने हेतु ई.एम.पी. का प्रावधान रखा गया है।

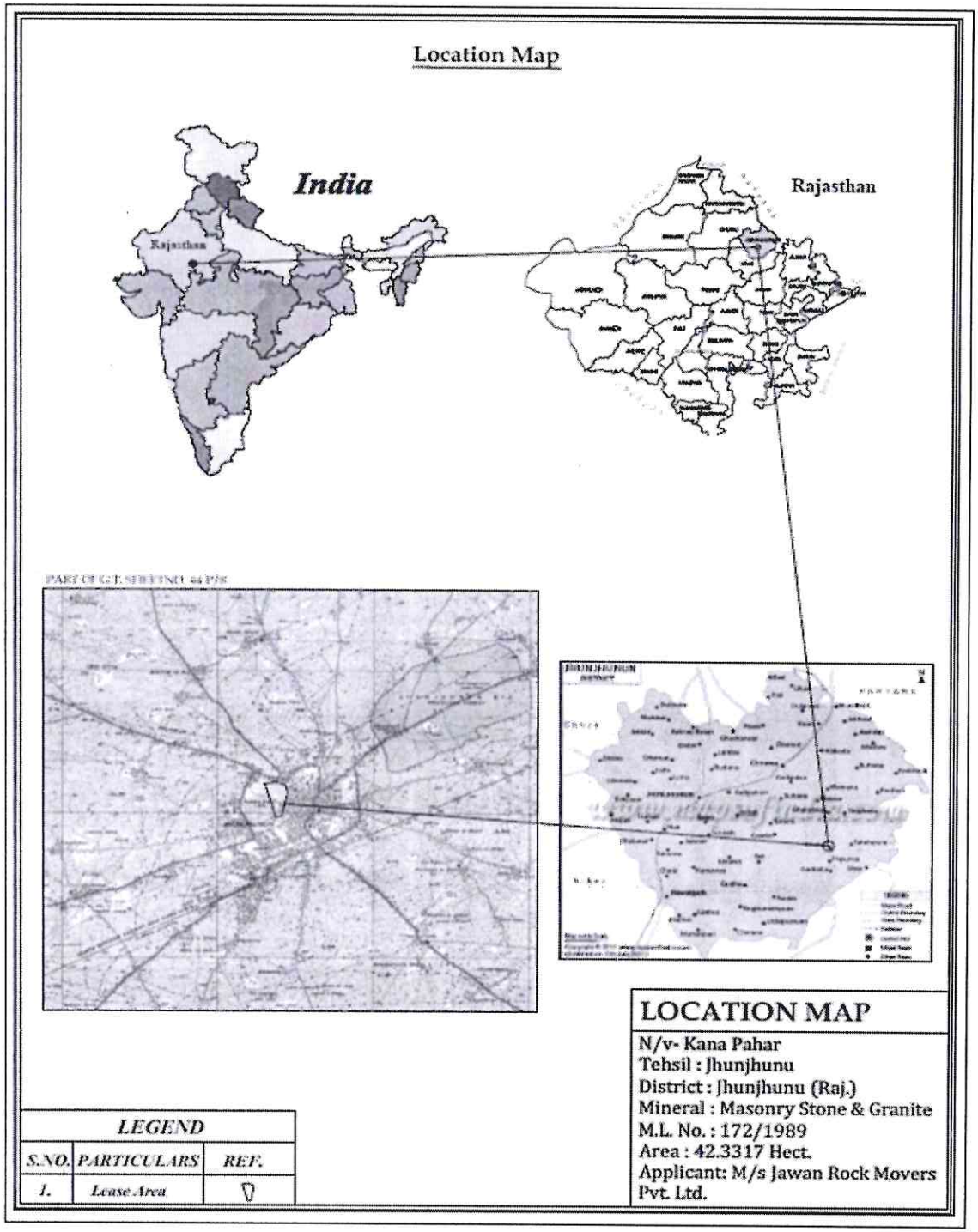
Location Map
India
Rajasthan
Rajasthan
LOCATION MAP
N/v- Kana Pahar
Tehsil : Jhunjhunu
District : Jhunjhunu (Raj.)
Mineral : Masonry Stone & Granite
M.L. No. : 172/1989
Area : 42.3317 Hect.
Applicant: M/s Jawan Rock Movers Pvt. Ltd.
LEGEND
S.NO. PARTICULARS REF.
1. Lease Area

स्थिति मानचित्र

15 कि.मी. परिधि का मानचित्र

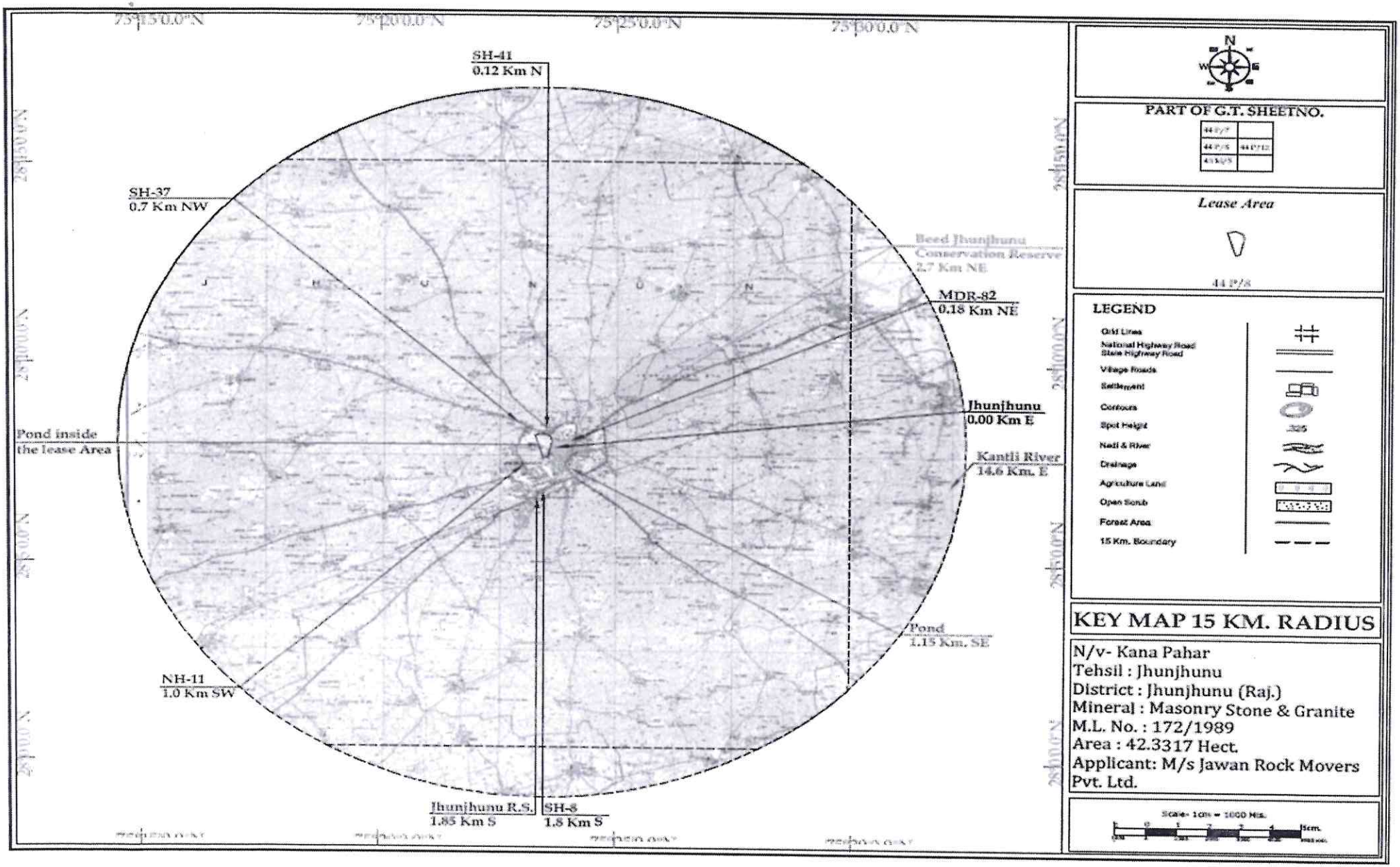

पर्यावणीय प्रभाव हेतु किये गये अध्ययन के स्थानों की स्थिति को दर्शाता मानचित्र

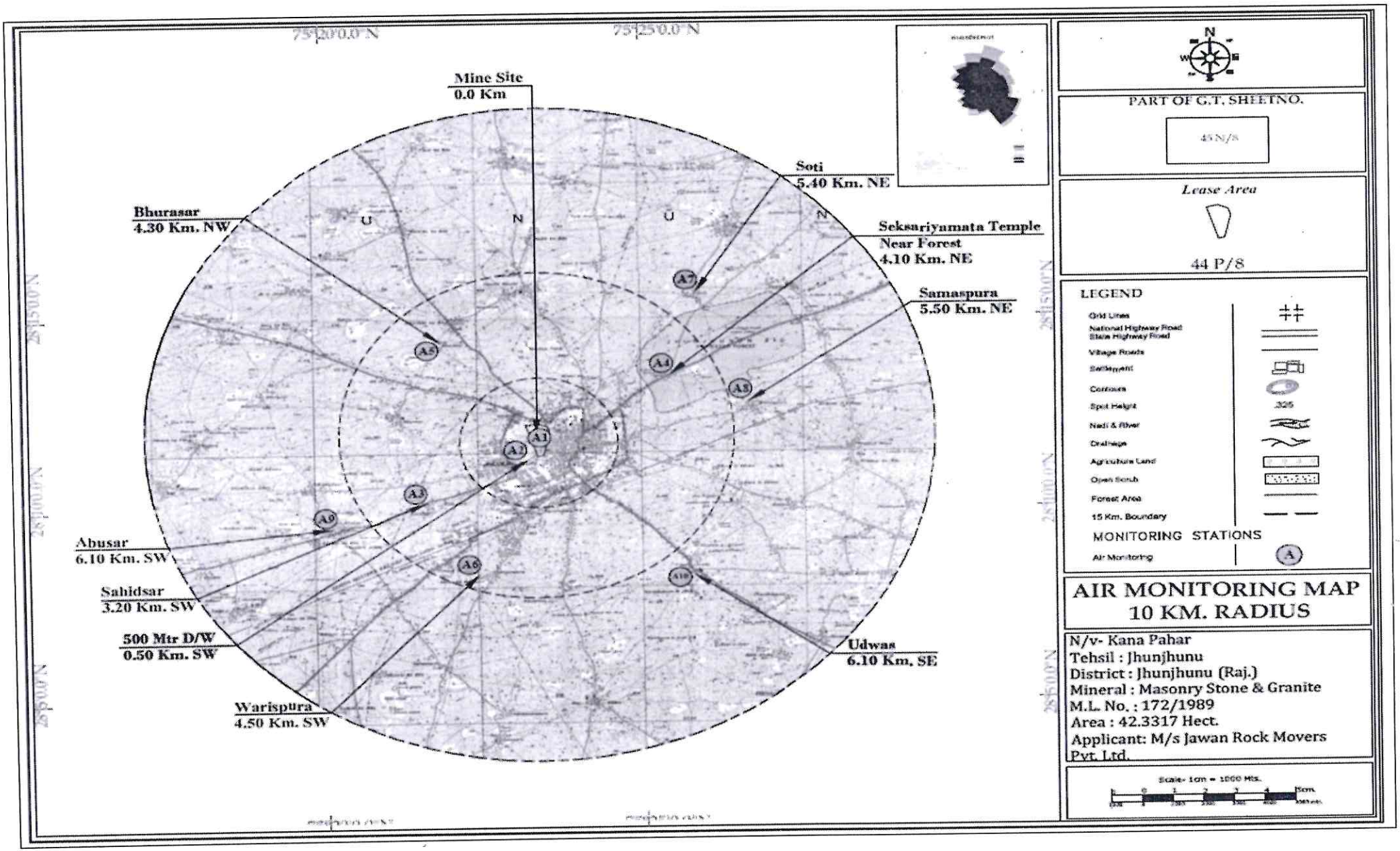

खनन् की विधि

इस परियोजना में खनन् पारम्परिक रूप से अर्द्व यंत्रीकृत खुली पद्धति के द्वारा किया जाएगा। खनन् क्षेत्र मे सभी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण उपायो को अपनाया जायेगा। खनन् कार्य पर्यावरण और आस–पास के क्षेत्र को ध्यान में रखतें हुए वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। उत्खनन मशीन, एक्सकेवेटर, डमपर (जब व जैसे आवश्यक हो) खनन् कार्य में इस्तमाल होने वाली मुख्य मशीन/वाहन है। खनन, सतह से 22 मीटर की गहराई तक ही किया जायेगा जबकी खनन क्षेत्र के आस–पास भू–जल सतह से 100 से 110 मीटर नीचे स्थित है। अतः खनन से भू–जल स्तर को प्रतिछेदित नही किया जायेगा।

प्रस्तावित यंत्रीकरण

क्र.सं.	यंत्र का प्रकार	क्षमता	संख्या
1.	कम्प्रैशर	120 पी.एस.आई.	5
2.	जैक हैमर	32/100 एम एम	आवश्यकतानुसार
3.	वैगन ड्रिल	100 एम एम	3
4	डेरिक क्रेन	30–40 टन	5
5	डम्पर	20 टन	20
6	एक्सकेवेटर	1.2 मीटर क्यूब	3
7	मोबाईल क्रैन	40 टन	5
8	वायर सॉ	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
9	ट्रैक्टर विथ पानी का टैंकर	5000 लीटर	1
10	हाईड्रोलिक लोडर्स	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
11	टिपर्स	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
12	डी.जी. सेट	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

भू–आकृति एवं जल निकासी व्यवस्था

- झुंझुंनू 0.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है परन्तु खनन कार्य निकटतम आबादी से उचित दूरी छोड कर नियमानुसार ही की जाएगी। तथा इस खनन कार्य द्वारा निकटतम आबादी को कोई नुकसान नही पहुचाया जाएगा।
- खनन क्षेत्र में कोई वन भूमि नहीं है।
- खनन् कार्य से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल नहीं निकलेगा।
- अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण मौजूद नहीं है।
- खनन परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्राकृतिक वर्षा जल स्त्रोत के मार्ग को अवरूद्व नही किया जाएगा ना ही किसी सतही जल के मार्ग को अवरूद्व किया जाएगा।

पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन

अध्ययन काल – (दिसम्बर 2023 से फरवरी 2024)

क्र.सं.		विवरण
अ.	**10 स्थानो पर किए गए व्यापक वायु गुणवत्ता का विवरण**	
1.	पी.एम. 10	44.84 से 84.22 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर
2.	पी.एम. 2.5	23.60 से 49.54 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर
3.	सल्फर डाई आक्साइड (SO2)	6.52 से 18.58 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर
4.	नाईट्रोजन डाई ओक्साइड (NO_2)	13.04 से 30.96 माइक्रोग्राम प्रतिघनमीटर
ब.	**10 स्थानो पर किए गए ध्वनि स्तर गुणवत्ता का विवरण**	
1.	दिन के समय	47.8 से 58.3 एलईक्यू डीबी (ए)
2.	रात के समय	37.4 से 46.9 एलईक्यू डीबी (ए)
स.	जल गुणवत्ता	
	8 स्थानो पर किए गए भू–जल गुणवत्ता का विवरण	
1.	पी.एच.	7.14 – 7.78
2.	कुल घुलनशील पदार्थ	607 – 986 मिलीग्राम प्रति लीटर
3.	फलोराइड	0.29 – 0.63 मिलीग्राम प्रति लीटर
4.	क्लोराइड	99.1 – 191.30 मिलीग्राम प्रति लीटर
5.	कठोरता	308– 506 मिलीग्राम प्रति लीटर

पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन

अध्ययन काल – (दिसम्बर 2023 से फरवरी 2024)

क्र.सं.		विवरण
	2 स्थान पर किए गए सतही गुणवत्ता का विवरण	
1.	पी.एच.	7.10
2.	कुल घुलनशील पदार्थ	344 मिलीग्राम प्रति लीटर
3.	बी.ओ.डी.	6.0 मिलीग्राम प्रति लीटर
4.	सी.ओ.डी.	29.6 मिलीग्राम प्रति लीटर
5.	कठोरता	165 मिलीग्राम प्रति लीटर
द.	**9 स्थानो पर किए गए मृदा गुणवत्ता का विवरण**	
1.	पी.एच.	7.70 से 8.68
2.	नाईट्रोजन	158.26 – 246.40 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर
3.	फासफोरस	14.98 – 32.81 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर

पर्यावरण प्रबंधन योजना

वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन

वायु पर प्रभाव –

- वायु प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत ट्रकों का सड़क परिवहन नेटवर्क एवं खनन् गतिविधि है। परियोजना के मुख्य वायु उत्सर्ग पार्टिकुलेट पदार्थ PM_{10}, $PM_{2.5}$ नाईट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO_2) व सल्फर डाई ऑक्साईड (SO_2) है।

वायु प्रबंधन –

- आस – पास के गांवो में धूल के प्रदूषण को नियन्त्रित कर निर्धारित सीमा में रखने के लिए खनन क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
- सावधिक वायु गुणवत्ता की निगरानी की जावेगी। वायु में धूल कणों का प्रदूषण निंयत्रित रखने के लिए उचित शमन उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे खनिज परिवहन मार्ग पर जल का नियमित छिड़काव, वाहनो का उचित रखरखाव एवं खनन क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
- धूलीय क्षेत्र जैसे कि उत्खन्न और खदान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को डस्ट मास्क दिये जाऐगें।
- खनिज परिवहन मार्ग पर धूलकणजनित प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए उचित अन्तराल पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- खदान में कार्यरत मशीनों व परिवहन में लगे वाहनों के ईधन से निकलने वाली अवांछनीय गैसों को नियंत्रित रखने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रखरखाव किया जाएगा।
- परिवहन के दौरान ट्रको से ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी।
- ट्रकों/टिपर को तिरपाल से ढ़क कर खनिज का परिवहन किया जाएगा।

जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन

जल पर्यावरण पर प्रभाव –

खनन के दौरान खनन क्षेत्र से किसी भी प्रकार से भूजल व सतही जल का दोहन नही किया जायेगा। खनन के दौरान भूजल स्तर को प्रतिच्छेद नहीं किया जायेगा व खनन के दौरान जल की मात्रा व गुणवत्ता पर कोई भी विपरीत प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

जल प्रबंधन –

- खनन् कार्य से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल नहीं निकलेगा क्योंकि परियोजना में सिर्फ मैसनरी स्टोन एवं ग्रेनाईट खनिज का खनन् किया जाएगा।
- खनन् के दौरान भू–जल स्तर को प्रतिच्छेद नहीं किया जायेगा।
- खनन के दौरान प्राकृतिक (वर्षा) जल के प्रवाह को अवरूद्व नहीं किया जायेगा।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन

ध्वनि का प्रभाव –

कार्य क्षेत्र में उत्पन्न सामान्य ध्वनि स्तर 75 डेसीबल से कम हैं। खान स्थल पर खनिज के परिवहन हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत हैं। अतः वाहनो और खनन् मशीनो से उत्पन्न ध्वनि को अनुज्ञेय सीमा में रखने के लिए निम्न उपाय किए जाएगें।

ध्वनि प्रबंधन –

- ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए खनन क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
- वाहनों को अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ताकि ध्वनि न्यूनतम संभव स्तर तक कम हो जाए।
- पुराने और जीर्ण ट्रको को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा।
- ट्रक चालको को गांव क्षेत्र में होर्न के न्यूनतम उपयोग करने के निर्देश दिए जाएंगे।
- लदान/उत्खनन गतिविधियों के दौरान कम से कम ध्वनि उत्पन्न हो इसके लिए सावधानी बरती जाएगी।
- वाहनों व मशीनों में घर्षण से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को निंयत्रित रखने के लिए वाहनों व मशीनों का भलिभांति लुब्रीकेशन किया जाएगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम

- पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत 14000 पौधो का लगाया जाना प्रस्तावित है जोकि खनन क्षेत्र के चारो तरफ, खनिज परिवहन मार्ग के दोनो तरफ एवं खनन क्षेत्र के अन्दर अनउपयोगी क्षेत्र में एवं बफर जोन में (जैसे व जहॉ सम्भावित हो) अन्यत्र स्थानों जैसे कि स्कूलों, पंचायत भूमि व सामुदायिक केन्द्र इत्यादि पर किया जाना प्रस्तावित है।

- पौधारोपण कार्यक्रम खनन् कार्य के दौरान से अंत तक निश्चित योजना के अनुसार कुल खनन क्षेत्र के 33 प्रतिशत क्षेत्र में किया जाएगा।

- पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान पौधों की स्थानीय प्रजातियों को वरीयता दी जाएगी। पौधों की स्थानीय प्रजातियाँ जैसे नीम, शीशम, देसी बबूल, खेजडी, अरडू, आवॅला एवं स्थानीय वन विभाग द्वारा बताई गई अन्य स्थानीय प्रजातियो इत्यदि को वरीयता दी जाएगी।

- वृक्षो के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद ओर पानी का ध्यान रखा जायेगा व इस हेतु 70.0 लाख रूपये प्रतिवर्ष का प्रावधान रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण के उपायो की लागत

क्र.सं.	विशेष	वार्षिक आवर्ती लागत लाख (रू.)
1.	वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की जांच एवं रोकथाम हेतु	4.0
2.	प्रदूषण नियंत्रण के उपायो में (धूल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय व अन्य) (छिड़काव)	8.0
3.	वृक्षारोपण संरक्षण सहित	70.0
4.	निकटवर्ती गॉवों में वर्षा जल संरक्षण के लिए, गारलेन्ड डेन व सेटिगं व रख रखाव के लिए	3.0
5.	खनिज परिवहन मार्ग के रखरखाव के लिए	3.0
6.	मॉडयूलर एस.टी.पी. की स्थापना	1.0
7.	खनन मशीनरी का रखरखाव	20.0
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	0.50
	कुल	109.50

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

- खनन् से श्रमिकों एवं स्थानीय निवासियो के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।
- धूल के उत्सर्जन को छोड़, स्वास्थ्य से संबधित बीमारियों की संभावना का कोई स्त्रोत नहीं है। धूलीय क्षेत्र जैसे उत्खनन और लदान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को डस्ट मास्क दिये जाऐगें।
- अभी तक इस क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई खतरा नहीं पाया गया है।
- निवारक कार्यवाही के रूप में सम्भावित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- किसी भी मजदूर की स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या का उचित निवारण किया जाएगा।
- सावधिक चिकित्सा जाँच शिविर आयोजित किये जायेगें।
- व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु 26.0 लाख रूपये प्रतिवर्ष का प्रावधान रखा गया है।

परियोजना प्रस्तावक के सामाजिक दायित्वो के तहत किये जाने वाले कार्यो का विवरण

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित आर्थिक प्रावधान (लाख रूपये प्रति वर्ष)
1.	**सामुदायिक शिक्षा सुविधाएं** • गाँव के स्कूलों में फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड आदि का विस्तार • मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। • शैक्षिक पुस्तकों, स्टेशनरी, सहायक सामग्री आदि का वितरण।	10
2.	**सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार** • खोदे गए कुओं और अन्य पीने योग्य पानी के स्रोतों के लिए कीटाणुशोधन सुविधाएं • समय-समय पर चिकित्सा जांच शिविर, रक्तदान शिविर। • नेत्र जांच शिविर • स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर	10
3	सामुदायिक कल्याण गतिविधियाँ • पूजा स्थान विकास और सौंदर्यीकरण • बीज और पौधे का वितरण • विभिन्न सरकारी योजनाएं को प्रोत्साहन और सहायता।	5

परियोजना प्रस्तावक के सामाजिक दायित्वो के तहत किये जाने वाले कार्यो का विवरण

4	अवसंरचनात्मक विकास • हैंड पंप / बोरवेल की स्थापना / मरम्मत • परियोजना स्थल से सटे गाँव की सड़कों का निर्माण	10
5	सामुदायिक जल संरक्षण • निकटतम गाँव में वर्षा जल संचयन • जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम	10
6	सामुदायिक क्षमता निर्माण • तकनीकी कौशल, सिलाई, कढ़ाई, सिलाई, हस्तशिल्प के रूप में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना	5
	कुल	**50.0**

- परियोजना में श्रामिको के हितार्थ 9.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

परियोजना के फायदे

- स्थानीय लोगो को रोजगार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होगें।
- क्षेत्र में आवागमन के साधनो की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य केम्पों से स्थानीय लोगो को चिकित्सको की सेवाएँ समय समय पर प्राप्त होगी।
- उद्योगो के सामाजिक दायित्वों के तहत नियमानुसार विभिन्न सामाजिक सरोकारो हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यय किये जाने वाली राशि के फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र एंव आस पास के क्षेत्रो में विद्यालयो, सामुदायिक केन्द्रों, पेयजल, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रो में अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाए प्राप्त होगी। इससे स्थानीय धार्मिक आस्था के केन्द्रों के विकास में भी मदद मिलेगी।
- कुल मिलाकर परियोजना का सामाजिक – आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव सकारात्मक होगा क्योंकि जो श्रमिक इस परियोजना में काम करेंगे वे आसपास के गांव से ही होगें तथा ये लोग मुख्य रूप से इस तरह के खनन गतिविधियों पर निर्भर हैं, अतः इस परियोजना से बेहतर रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचा व आधारभूत सुविधाएँ मिलेंगी। यह आस–पास के ग्रामीणों के बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर को बढावा देगा।

धन्यवाद